फर्द अहकाम

नाम न्यायालय रामफूल बनाम अजय

केस संख्या 261/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/12/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] कार्य [illegible] पूर्वानुसार [illegible] 9/1/25 [illegible]
	9/1/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षीगण अजयी [illegible] अभियोगी ह० 1, 4, 5, 7, 9 व 12 गत पेशी पर एवं उपस्थित हुये थे। आज उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः अभियोगी ह० 1, 4, 5, 7, 9 व 12 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही उनके लाई जाती है। शेष अभियोगीगण बावजूद तामिल उपस्थित नहीं। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही उनके लाई जाती है। बहस पक्षीगण जाबिताती गई। बहस जाबिता व पत्रावली का सम्यक् अवलोकन करने पर इस न्यायालय के द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 9/10/2024 को मूलवाद के निस्तारण तक अनुतोष किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कर दी, बाद तकामिल दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Read

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय
जयपुर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 261/2024

1. रामफूल पुत्र श्री काना
2. बाबूलाल पुत्र श्री काना
3. मीरा पुत्री श्री काना
4. शान्ति पुत्री श्री काना

समस्त जाति मीणा निवासी नोहरा वाली ढाणी, ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. अजय पुत्र रामलाल
2. तनिष्का पुत्री कैलाश नाबालिग संरक्षिका माता रिना
3. दुर्गा देवी पत्नी राधेश्याम
4. नन्दलाल पुत्र जगन्नाथ
5. मोहन लाल पुत्र छीतर .
6. यशराज पुत्र कैलाश नाबालिग संरक्षिका माता रिना
7. राजपत्ति पुत्र जगन्नाथ

बाबूलाल मीणा

नि: शफी